मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल दिनांक /07/2019

क्रमांक एफ10-10/19/ सत्रह/मेडि-2:: एतद द्वारा प्रदेश की विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों, नर्सिंग कॉलेज एवं जी.एन.एम./ए.एन.एम./एम.पी.डब्लू. ट्रेनिंग स्कूल में निम्नानुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

अ. राज्य स्वास्थ्य प्रबंध एवं संचार संस्थान, ग्वालियर

1.	आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, म0प्र0	अध्यक्ष
2.	मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	उपाध्यक्ष
3.	संचालक, राज्य स्वास्थ्य प्रबंध एवं संचार संस्थान,	सदस्य सचिव
4.	क्षेत्रीय संचालक, संभागीय कार्यालय ग्वालियर	सदस्य
5.	आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा द्वारा नामित प्रतिनिधी	सदस्य
6.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ग्वालियर	सदस्य
7.	संस्थान के दो संकाय सदस्य (फैकल्टी)	सदस्य
8.	स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा नामित दो राज्य कार्यक्रम अधिकारी	सदस्य
9.	सहायक यंत्री, संभागीय कार्यालय	सदस्य
10.	वित्त अधिकारी/लेखा अधिकारी	सदस्य

ब. क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र

1.	क्षेत्रीय संचालक, संभागीय कार्यालय ग्वालियर/इंदौर/जबलपुर	अध्यक्ष
2.	प्रचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, ग्वालियर/इंदौर/जबलपुर	सदस्य सचिव
3.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ग्वालियर/इंदौर/जबलपुर	सदस्य
4.	संस्था के दो संकाय सदस्य (फैकल्टी)	सदस्य
5.	संभाग आयुक्त द्वारा नामित प्रतिनिधी	सदस्य
6.	सहायक यंत्री, संभागीय कार्यालय	सदस्य
7.	लेखा अधिकारी	सदस्य

स.   राज्य क्षय प्रत्यक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र

1.	क्षेत्रीय संचालक, संभागीय कार्यालय, भोपाल	अध्यक्ष
2.	संचालक, राज्य क्षय प्रत्यक्षण प्रशिक्षण केंद्र, भोपाल	सदस्य सचिव
3.	संस्था का एक संकाय सदस्य (फैकल्टी)	सदस्य
4.	राज्य कार्यक्रम अधिकारी- क्षय कार्यक्रम (RNTCP)	सदस्य
5.	स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा नामित दो जिला क्षय अधिकारी	सदस्य
6.	सहायक यंत्री, संभागीय कार्यालय	सदस्य

द.   कैंसर एवं पेलिएटीव केअर प्रशिक्षण केंद्र, उज्जैन

1.	सिविल सर्जन, उज्जैन	अध्यक्ष
2.	संचालक, कैंसर एवं पेलिएटीव केअर प्रशिक्षण केंद्र, उज्जैन	सदस्य सचिव
3.	संस्था का एक संकाय सदस्य (फैकल्टी)	सदस्य
4.	राज्य कार्यक्रम अधिकारी (NCD)	सदस्य
5.	जिला नोडल अधिकारी (NCD)	सदस्य
6.	जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	सदस्य
7.	जिला लेखा प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	सदस्य

इ.   बी.एस.सी. नर्सिंग कॉलेज

1.	क्षेत्रीय संचालक, संभागीय कार्यालय जबलपुर/उज्जैन	अध्यक्ष
2.	प्राचार्य, नर्सिंग कॉलेज – जबलपुर/उज्जैन	सदस्य सचिव
3.	जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
4.	कलेक्टर द्वारा नामित प्रतिनिधी	सदस्य
5.	उपप्राचार्य, नर्सिंग कॉलेज – जबलपुर/उज्जैन	सदस्य
6.	वरिष्ठ सिस्टर ट्यूटर/ डी.पी.एच.एन.ओ.	सदस्य
7.	स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा नामित विषय विशेषज्ञ	सदस्य
8.	सहायक यंत्री, संभागीय कार्यालय	सदस्य

ई. जी.एन.एम./ ए.एन.एम./एम.पी.डब्लू. ट्रेनिंग स्कूल

1.	जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	अध्यक्ष
2.	सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक	उपाध्यक्ष
3.	प्राचार्य, जी.एन.एम./ए.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल	सदस्य सचिव
4.	वरिष्ठ सिस्टर ट्यूटर (फैकल्टी)	सदस्य
5.	जिला अस्पताल से एक मैट्रन	सदस्य
6.	जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	सदस्य
7.	जिला लेखा प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	सदस्य

2. इन संस्थाओं में विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन का उद्देश्य इन केंद्रों को प्रशिक्षण गतिविधियों से प्राप्त होने वाली आय का पारदर्शी तरीके से समुचित उपयोग इन संस्थाओं के विकास एवं सुदृणीकरण के लिये करना है।

3. विद्यालय प्रबंधन समिति का संचालन एवं प्रबंधन संलग्न दिशा-निर्देशों के अनुरुप किया जाये।

संलग्न दिशा-निर्देश

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय नथानियल)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मध्य प्रदेश

पृ0 क्रमांक एफ10-10/19/सत्रह/मेडि-02, भोपाल दिनांक 17/07/2019

प्रतिलिपी:-

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय,भोपाल।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश ।
4. संभाग आयुक्त, इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर संभाग मध्य प्रदेश ।
5. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।

6. समस्त कलेक्टर, मध्य प्रदेश ।
7. संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।
8. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी संचालक, राज्य स्वास्थ्य प्रबंध एवं संचार संस्थान, ग्वालियर।
10. प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, इंदौर/ ग्वालियर/जबलपुर मध्य प्रदेश ।
11. संचालक, राज्य क्षय प्रत्यक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र, भोपाल मध्य प्रदेश ।
12. संचालक, कैंसर केअर पेलिएटीव प्रशिक्षण केंद्र, उज्जैन ।
13. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्य प्रदेश ।
14. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्य प्रदेश ।
15. प्रचार्य, बी.एस.सी. नर्सिंग कॉलेज, जबलपुर/उज्जैन मध्य प्रदेश ।
16. समस्त प्रचार्य, जी.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल मध्य प्रदेश ।
17. समस्त प्रचार्य, ए.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल मध्य प्रदेश ।
18. समस्त प्रचार्य, एम.पी.डब्लू. ट्रेनिंग स्कूल बड़वानी/सागर मध्य प्रदेश

को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मध्य प्रदेश

विभागीय प्रशिक्षण केंद्रो, नर्सिंग कॉलेज
जी.एन.एम., ए.एन.एम. एवं एम.पी.डब्लू स्कूल
में
विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन

¤§¤

दिशा-निर्देश

¤¤¤

2019

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

विद्यालय प्रबंधन समिति

1. भूमिका :

विभाग के तहत नर्सिंग संवर्ग एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पदों पर नियुक्ति के लिये बी.एस.सी. नर्सिंग, जी.एन.एम. में डिप्लोमा एवं नर्सिंग मिडवाईफरी में सर्टिफिकेट कोर्स संचालित किये जाते है। इसके अलावा विभिन्न संवर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समय समय पर ओरिऐंटेशन प्रशिक्षण तथा विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत सेवारत प्रशिक्षण राज्य स्वास्थ्य प्रबंध एवं संचार संस्थान, ग्वालियर एवं क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से दिया जाता है। प्रशिक्षण केंद्रों में उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण दिया जा सके इसके लिये इन्हे प्रशिक्षण की बेहतर एवं आधुनिक सुविधाए जैसे - कम्प्यूटर लैब, पुस्तकालय, ई-लाईब्रेरी, वाई-फाई, स्मार्ट क्लास रुम से युक्त किये जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा प्रशिक्षणार्थियों के लिये भी ठहरने के लिये साफ एवं स्वच्छ कक्ष, एअर कंडिशनर्स/कूलर्स सुविधा, भोजन, शीतल जल आदि के साथ योगा, खेलकूद एवं मनोरंजन के साघन उपलब्ध कराने से प्रशिक्षण कार्यक्रमों को रुचिकर बनाया जा सकता है एवं विभाग को इसका अधिक से अधिक लाभ भी मिल सकेगा ।

राज्य क्षय प्रत्यक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र, भोपाल एवं कैंसर एवं पेलिएटीव केअर प्रशिक्षण केंद्र, उज्जैन के माध्यम से भी विभिन्न संवर्ग के चिकित्सको, नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल स्टॉफ के लिये प्रशिक्षण गतिविधिया आयोजित की जाती है । कैंसर प्रशिक्षण एवं पेलिएटीव केंद्र द्वारा अन्य राज्यों के चिकित्सको, एवं नर्सिंग स्टॉफ के लिये प्रशिक्षण आयोजित किये जा रहे है ।

इन केंद्रों को प्रशिक्षण गतिविधियों से प्राप्त होने वाली आय/राशि एक पृथक बैंक खाते में रखी जाकर इसका पारदर्शी तरीके से समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिये प्रत्येक स्तर की संस्था में एक विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। इन विद्यालय प्रबंधन समितियों के माध्यम से इन संस्थाओं के विकास एवं सुदृणीकरण के लिये इस राशि का उपयोग किया जाएगा ।

2. उद्‌देश्य:

विभिन्न प्रशिक्षण संस्थान, नर्सिग कॉलेज एवं जी.एन.एम./ए.एन.एम./एम.पी.डब्लू. ट्रेनिंग स्कूल में विद्यालय प्रबंधन समिति गठित करने का उद्‌देश्य संस्था को प्राप्त होने वाले वित्तीय

संसाधनों को चिन्हित कर समुचित एवं पारदर्शी तरीके से उपयोग सुनिश्चित करते हुए प्रशिक्षार्थियों के लिए बेहतर सुविधाएं एवं उचित वातावरण उपलब्ध कराना है ।

3. प्रशिक्षण संस्थाऐं:

विभाग में वर्तमान स्थिति में विभिन्न स्तर की प्रशिक्षण संस्थाऐं निम्नानुसार है:-

क्रं.	संस्था का नाम	स्थान	संख्या
1.	राज्य स्वास्थ्य प्रबंध एवं संचार संस्थान	ग्वालियर	1
2.	क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र	ग्वालियर, इंदौर एवं जबलपुर	3
3.	टी.बी. प्रशिक्षण केंद्र	भोपाल	1
4.	कैंसर एवं पेलिएटीव केअर प्रशिक्षण केंद्र	उज्जैन	1
5.	बी.एस.सी. नर्सिंग कॉलेज	जबलपुर एवं उज्जैन	2
6.	जी.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल	छिन्दवाडा, खण्डवा, रतलाम, सतना, रायसेन, झाबुआ, सीधी, राजगढ़, विदिशा, दतिया, देवास, मंदसौर, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, बैतूल, बुरहानपुर, इटारसी (होशंगाबाद), बड़वानी, मण्डला, शहडोल एवं अशोक नगर	22
7.	ए.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल	सीहोर, धार, शिवपुरी, सागर, पन्ना, सौंसर (छिन्दवाड़ा), उज्जैन एवं अनूपपुर	8
8.	एम.पी.डब्लू. ट्रेनिंग स्कूल	बड़वानी एवं सागर	2

4. संरचना:

विभिन्न स्तर के प्रशिक्षण केंद्रो, नर्सिंग कॉलेज, जी.एन.एम./ए.एन.एम./ एम.पी.डब्लू. ट्रेनिंग स्कूल के लिये निम्नानुसार विद्यालय प्रबंधन समिति गठित की जाती है:-

2

राज्य स्वास्थ्य प्रबंध एवं संचार संस्थान, ग्वालियर

1.	आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, म0प्र0	अध्यक्ष
2.	मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	उपाध्यक्ष
3.	संचालक, राज्य स्वास्थ्य प्रबंध एवं संचार संस्थान,	सदस्य सचिव
4.	क्षेत्रीय संचालक, संभागीय कार्यालय ग्वालियर	सदस्य
5.	आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा द्वारा नामित प्रतिनिधी	सदस्य
6.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ग्वालियर	सदस्य
7.	संस्थान के दो संकाय सदस्य (फैकल्टी)	सदस्य
8.	स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा नामित दो राज्य कार्यक्रम अधिकारी	सदस्य
9.	सहायक यंत्री, संभागीय कार्यालय	सदस्य
10.	वित्त अधिकारी/लेखा अधिकारी	सदस्य

क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र

1.	क्षेत्रीय संचालक, संभागीय कार्यालय ग्वालियर/इंदौर/जबलपुर	अध्यक्ष
2.	प्रचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, ग्वालियर/इंदौर/जबलपुर	सदस्य सचिव
3.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ग्वालियर/इंदौर/जबलपुर	सदस्य
4.	संस्था के दो संकाय सदस्य (फैकल्टी)	सदस्य
5.	संभाग आयुक्त द्वारा नामित प्रतिनिधी	सदस्य
6.	सहायक यंत्री, संभागीय कार्यालय	सदस्य
7.	लेखा अधिकारी	सदस्य

राज्य क्षय प्रत्यक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र

1.	क्षेत्रीय संचालक, संभागीय कार्यालय, भोपाल	अध्यक्ष
2.	संचालक, राज्य क्षय प्रत्यक्षण प्रशिक्षण केंद्र, भोपाल	सदस्य सचिव
3.	संस्था का एक संकाय सदस्य (फैकल्टी)	सदस्य
4.	राज्य कार्यक्रम अधिकारी- क्षय कार्यक्रम (RNTCP)	सदस्य
5.	स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा नामित दो जिला क्षय अधिकारी	सदस्य
6.	सहायक यंत्री, संभागीय कार्यालय	सदस्य

कैंसर एवं पेलिएटीव केअर प्रशिक्षण केंद्र, उज्जैन

1.	सिविल सर्जन, उज्जैन	अध्यक्ष
2.	संचालक, कैंसर एवं पेलिएटीव केअर प्रशिक्षण केंद्र, उज्जैन	सदस्य सचिव
3.	संस्था का एक संकाय सदस्य (फैकल्टी)	सदस्य
4.	राज्य कार्यक्रम अधिकारी (NCD)	सदस्य
5.	जिला नोडल अधिकारी (NCD)	सदस्य
6.	जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	सदस्य
7.	जिला लेखा प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	सदस्य

बी.एस.सी. नर्सिंग कॉलेज

1.	क्षेत्रीय संचालक, संभागीय कार्यालय जबलपुर/उज्जैन	अध्यक्ष
2.	प्राचार्य, नर्सिंग कॉलेज – जबलपुर/उज्जैन	सदस्य सचिव
3.	जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
4.	कलेक्टर द्वारा नामित प्रतिनिधी	सदस्य
5.	उपप्राचार्य, नर्सिंग कॉलेज – जबलपुर/उज्जैन	सदस्य
6.	वरिष्ठ सिस्टर ट्यूटर/ डी.पी.एच.एन.ओ.	सदस्य
7.	स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा नामित विषय विशेषज्ञ	सदस्य
8.	सहायक यंत्री, संभागीय कार्यालय	सदस्य

जी.एन.एम./ ए.एन.एम./एम.पी.डब्लू. ट्रेनिंग स्कूल

1.	जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	अध्यक्ष
2.	सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक	उपाध्यक्ष
3.	प्राचार्य, जी.एन.एम./ए.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल	सदस्य सचिव
4.	वरिष्ठ सिस्टर ट्यूटर (फैकल्टी)	सदस्य
5.	जिला अस्पताल से एक मैट्रन	सदस्य
6.	जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	सदस्य
7.	जिला लेखा प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	सदस्य

5. विद्यालय प्रबंधन समिति के आय के स्त्रोत:

विद्यालय प्रबंधन समिति के आय के स्त्रोत निम्नानुसार है:-

5.1 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत -

5.1.1 विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण शुल्क एवं आवास/भोजन व्यवस्था हेतु निर्धारित शुल्क के रुप में प्राप्त राशि

5.1.2 इंस्टीट्यूशनल ओवरहेड मद के तहत प्राप्त राशि ।

5.1.3 विभागीय गतिविधियों के आयोजन करने के लिये निर्धारित शुल्क के रुप में प्राप्त राशि ।

5.2 विभिन्न डेवलपमेंट पार्टनर्स के माध्यम से आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये -

5.2.1 प्रशिक्षण शुल्क एवं आवास/भोजन व्यवस्था हेतु निर्धारित शुल्क के रुप में प्राप्त राशि ।

5.2.2 इंस्टीट्यूशनल ओवरहेड मद के तहत प्राप्त राशि ।

5.2.3 क्लास रुम एवं कांफ्रेंस हाल के लिये निर्धारित किराये के रुप में प्राप्त राशि ।

5.3 अन्य शासकीय विभागों से संबंधित गतिविधियों के आयोजन हेतु प्रशिक्षण शुल्क, हॉस्टल में कमरे, क्लास रुम, संस्था परिसर, भोजन व्यवस्था एवं कांफ्रेंस हाल के लिये निर्धारित किराये के रुप में प्राप्त राशि ।

5.4 परामर्शदात्री सेवाओं, शोध एवं तकनिकी सेवाओं से प्राप्त शुल्क ।

6. विद्यालय प्रबंधन समिति के दायित्व एवं कार्य:

विद्यालय प्रबंधन समिति उपरोक्तानुसार स्त्रोतों से प्राप्त वित्तीय संसाधनों से राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों/नर्सिंग कॉलेज/जी.एन.एम. एवं ए.एन.एम./एम.पी.डब्लू. प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण के लिये बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिये नीमीत की गई है। विद्यालय प्रबंधन समिति को राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों/नर्सिंग कॉलेज/जी.एन.एम. एवं ए.एन.एम./एम.पी.डब्लू प्रशिक्षण स्कूल की अधोसंरचना एवं व्यवस्था में सुधार हेतु वांछित गतिविधियाँ अनुमोदित कर सकेगी।

विद्यालय प्रबंधन समिति प्राप्त वित्तीय संसाधनों के माध्यम से निम्न लिखित गतिविधियां स्वीकृत कर सकेंगी :-

6.1 शैक्षेणिक/प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार

6.2 प्रशिक्षणार्थियों हेतु हॉस्टल व्यवस्था में सुधार, खेलकूद गतिविधियों की स्थापना/विस्तार

6.3 पुस्तकालय/प्रयेगशालाओं का निर्माण/सुधार

6.4 भवनों की मरम्मत एवं रख रखाव

7. विद्यालय प्रबंधन समिति के संचालन के सामान्य नियम:

7.1 विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित करने का दायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य सचिव का है ।

7.2 विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक वर्ष में कम से कम चार बार आयोजित की जाना अनिवार्य है । आवश्यक होने पर प्रबंधन समिति की बैठक वर्ष में चार बार से अधिक भी आयोजित की जा सकेगी ।

7.3 विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक हेतु नियत तिथि के कम से कम एक सप्ताह पूर्व सदस्य सचिव द्वारा समस्त सदस्यों को बैठक की लिखित सूचना एवं कार्य सूची प्रेषित की जाना चाहिए।

7.4 विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य को किसी भी प्रकार के पारिश्रामिक का अधिकार नहीं होगा, समिति के समस्त पद अवैतनिक होंगे ।

7.5 विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठको से संबंधित समस्त जानकारी एवं अभिलेख व्यवस्थित रखना ।

7.6 विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में सदस्यों के समक्ष अवलोकन हेतु निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की जाना चाहिऐ:-

7.6.1 विगत बैठकों में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही की जानकारी

7.6.2 संस्था की वार्षिक प्रशिक्षण योजना

7.6.3 वित्तीय वर्ष के दौरान आय एवं व्यय की मदवार जानकारी

7.6.4 ऑडिट एवं इससे संबंधित आपत्तियों की जानकारी

7.6.5 संस्था में स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त मानव संसाधन से संबंधित जानकारी

7.6.6 संस्था भवन/परिसर में निर्माण कार्य, मरम्मत एवं रखरखाव, रंगरोगन तथा जिर्णोधार कराने संबंधी कार्यों की जानकारी

7.7 समिति द्वारा कोई भी कार्मिक सीधे अनुबंध से या दैनिक वेतन पर नही रखे जा सकेंगे । आवश्यकता होने पर कार्मिकों की व्यवस्था बाह्य ऐजेंसी के माध्यम से की जाएगी ।

7.8 प्रशासकीय स्वीकृति देने के समस्त अधिकार विद्यालय प्रबंधन समिति में विहित होंगे। यह अधिकार विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष या सचिव या किसी उप समिति को प्रत्यायोजित किये जा सकेंगे ।

8. वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन:-

8.1 विभिन्न संस्थानों में विद्यालय प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों को वित्तीय अधिकारों की सीमा निम्नानुसार होगी :-

संस्था का प्रकार	अधिकार की सीमा
राज्य स्वास्थ्य प्रबंध एवं संचार संस्थान, ग्वालियर	अध्यक्ष - रूपये 50.00 लाख तक सदस्य सचिव - रूपये 2.00 लाख तक
क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र	अध्यक्ष - रूपये 10.00 लाख तक सदस्य सचिव - रूपये 2.00 लाख तक
राज्य क्षय प्रत्यक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र, भोपाल	अध्यक्ष - रूपये 5.00 लाख तक सदस्य सचिव - रूपये 2.00 लाख तक
कैंसर एवं पेलिएटीव केअर प्रशिक्षण केंद्र, उज्जैन	अध्यक्ष - रूपये 5.00 लाख तक सदस्य सचिव - रूपये 2.00 लाख तक
बी.एस.सी. नर्सिंग कॉलेज/ जी.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल/	अध्यक्ष - रूपये 5.00 लाख तक सदस्य सचिव - रूपये 2.00 लाख तक
ए.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल	अध्यक्ष - रूपये 5.00 लाख तक सदस्य सचिव - रूपये 050 लाख तक

8.2 समय समय पर वित्तीय अधिकारों की समीक्षा कर इन्हे संचनालय द्वारा पुनरीक्षित किया जा सकेगा।

8.3 प्रबंधन समिति के तहत अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव को प्रदत्त वित्तीय अधिकार से अधिक व्यय होने की स्थिति में विद्यालय प्रबंधन समिति से व्यय पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक होगा।

8.4 अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों को इसी बैंक में सावधी जमा (Fixed Deposit) में निवेश किया जा सकेगा ।

8.5 संस्था की विद्यालय प्रबंधन समिति के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में बैंक खाता खोला जायेगा। बैंक खाते का संचालन संयुक्त रूप से दो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा निम्नानुसार किया जायेगाः-

संस्था का प्रकार	संयुक्त हस्ताक्षरकर्ता
राज्य स्वास्थ्य प्रबंध एवं संचार संस्थान, ग्वालियर	संचालक, राज्य स्वास्थ्य प्रबंध एवं संचार संस्थान एवं लेखाधिकारी
क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र	प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण एवं लेखाधिकारी
टी.बी. प्रशिक्षण केंद्र, भोपाल	संचालक, टी.बी. प्रशिक्षण केंद्र, एवं लेखापाल
कैंसर पेलिएटीव केअर प्रशिक्षण केंद्र, उज्जैन	नोडल अधिकारी एवं जिला अस्पताल का लेखाधिकारी/लेखापाल
बी.एस.सी. नर्सिंग कॉलेज/ जी.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल/	प्राचार्य, बी.एस.सी. नर्सिंग कॉलेज/ जी.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल एवं लेखाधिकारी/लेखापाल
ए.एन.एम./ एम.पी.डब्लू. ट्रेनिंग स्कूल	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्राचार्य, ए.एन.एम./ एम.पी.डब्लू. ट्रेनिंग स्कूल

नोटः प्रबंधन समिति लिंक अधिकारी को चिन्हित करेगी जो कि किसी भी हस्ताक्षरकर्ता की अनुपस्थिति (अधिकारी के अवकाश पर या मुख्यालय से बाहर हाने पर) में चैक पर हस्ताक्षर हेतु अधिकृत होंगे। परंतु इस अधिकार का प्रयोग केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिये।

9 लेखा प्रबंधन एवं अंकेक्षण:

9.1 विद्यालय प्रबंधन समिति की लेखा संबंधी पुस्तिकाओं - कैश बुक, लेजर, बैंक पास बुक, चैक बुक एवं चैक हस्ताक्षर रजिस्टर बैठक रजिस्टर, सदस्यों के विवरण संबंधी रजिस्टर आदि संधारित किये जाना अनिवार्य है।

9.2 विद्यालय प्रबंधन समिति से संबंधित बैंक खाते के संबंध में लिये एक पृथक कैश बुक संधारित की जाना चाहिये एवं लेखों का संधारण दोहरी प्रविष्टि प्रणाली (Double Entry System) आधारित कैश बुक में किया जाना चाहियें।

9.3 आय एवं व्यय के प्रत्येक शीर्ष के लिये पृथक लेखा संधारित किया जाना चाहिये।

9.4 संस्था के लेखों का अभिलेख संस्था में ही संधारित किया जाना चाहिये, लेखों को संस्था के बाहर ले जाने की अनुमति नही होगी।

9.5 विद्यालय प्रबंधन समिति के लेखों का अंकेक्षण चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट के द्वारा कराया जाना अनिवार्य है। इस हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा संबंधित जिले में अनुबंधित चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट को अनुबंधित किया जा सकता है।

(राकेश मुंशी)
संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क. प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची :

क्रं.	संस्था का नाम	स्थान
1.	राज्य स्वास्थ्य प्रबंध एवं संचार संस्थान	ग्वालियर
2.	क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र	ग्वालियर
3.	क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र	इंदौर
4.	क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र	जबलपुर
5.	राज्य क्षय प्रत्यक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र	भोपाल
6.	कैंसर एवं पेलिएटीव केअर प्रशिक्षण केंद्र	उज्जैन

ख. प्रि-सर्विस प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची :

क्रं.	संस्था का नाम	वार्षिक प्रशिक्षण क्षमता
	बी.एस.सी.नर्सिंग कॉलेज	
1	बी.एस.सी.नर्सिंग कॉलेज, जबलपुर	60
2	बी.एस.सी.नर्सिंग कॉलेज, उज्जैन	60
	जी.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल	
1	जी.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल छिन्दवाडा	60
2	जी.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल खण्डवा	60
3	जी.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल रतलाम	60
4	जी.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल सतना	60
5	जी.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल रायसेन	60
6	जी.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल झाबुआ	60
7	जी.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल सीधी	60
8	जी.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल राजगढ़	60
9	जी.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल विदिशा	60
10	जी.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल दतिया	60
11	जी.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल देवास	60

12	जी.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल मंदसौर	60
13	जी.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल नरसिंहपुर	60
14	जी.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल सिवनी	60
15	जी.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल बालाघाट	60
16	जी.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल बैतूल*	60
17	जी.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल इटारसी, होशंगाबाद*	60
18	जी.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल बुरहानपुर*	60
19	जी.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल बड़वानी*	60
20	जी.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल मण्डला*	60
21	जी.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल शहडोल*	60
22	जी.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल अशोक नगर**	35
	ए.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल	
1	ए.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल सीहोर	60
2	ए.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल धार	60
3	ए.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल शिवपुरी	60
4	ए.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल सौंसर (छिन्दवाड़ा)	40
5	ए.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल सागर	60
6	ए.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल पन्ना	60
7	ए.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल उज्जैन	40
8	ए.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल अनूपपुर	40
	एम.पी.डब्लू. ट्रेनिंग स्कूल	
1	एम.पी.डब्लू. ट्रेनिंग स्कूल बड़वानी	60
2	एम.पी.डब्लू. ट्रेनिंग स्कूल, सागर	60

नोट : * ए.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल से जी.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल में उन्नयन वर्ष 2019 से किया जाएगा ।

** नया जी.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल वर्ष 2019 से प्रारंभ किया जाएगा